⊕ कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सीहोर मध्यप्रदेश ⊕

{Ph.No. : 07562 - 224141, E-mail: dexosehore@yahoo.com}

सीहोर, दिनांक 1 /07/2021

——00निविदा विज्ञप्ति00——

सर्वसाधारण की विशेष जानकारी के लिए शासन आदेशानुसार एवं आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वांलियर के पत्र क्रमांक/9—लेखा/प्रा.वाहन/2021—22/708 ग्वालियर दिनांक 30.06.2021 अनुसार सूचना प्रकाशित की जाती है कि आबकारी विभाग, जिला सीहोर में वर्ष 2021—22 हेतु अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य (आबकारी अपराधों की रोकथाम) के लिए 04 वाहन मासिक किराए (फिक्सड एवं वेरिएबल चार्ज के आधार पर देय) पर लेने हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।

वाहन किराये पर लगाए जाने हेतु निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिनांक 12.07.2021 दिन सोमवार को अपरान्ह 12:00 बजे आमंत्रित की जाकर प्राप्त निविदाए दिनांक **12.07.2021** दिन सोमवार को ही 15:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदादाता की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रकिया को बाधित नहीं करेगी। निविदा फार्म की **कीमत 500/—(पाचं सौ रूपए)** मात्र होगी। यह राशि निविदादाता द्वारा **मद 0039 स्टेट एक्साइस 800 अन्य प्राप्तियों के मद में सायबर कोषालय के माध्यम से चालान जमा कर** निविदा फार्म प्राप्त की जा सकती है। वाहन का **माडल वर्ष 2017** के पूर्व का न हो, वाहन का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे. में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। वाहन किराये से लगाये जाने के लिए नियमानुसार सर्विस टैक्स (सेवाकर दाता) पंजीकृत फर्म/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में संबंधित संस्था/फर्म/व्यक्ति द्वारा टैक्सी सेवाओं के दिये जाने संबंधी प्रचलित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्सड चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर हेतु वेरिएबल चार्ज के आधार पर पृथक—पृथक आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदादाता अन्य नियमों व शर्तो की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।

जिला आबकारी अधिकारी
जिला—सीहोर (म.प्र.)